कार्यालय : जिला परिषद्, जहानाबाद

विज्ञापन संख्या–02/2024–25

विज्ञापन की सूचना

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2325/पं०रा० दिनांक–12.03.2024 एवं प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, के अर्ध सरकारी ज्ञापांक– अर्ध सरकारी ज्ञापांक–6402/प० रा० दिनांक–19.07.2024 के आलोक में जिला परिषद् कार्यालय, जहानाबाद अन्तर्गत रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर नियोजन हेतु राज्य सरकार/जिला परिषद्/बोर्ड/निगम/ लोक उपक्रम से सेवानिवृत सहायक अभियंता, प्रधान सहायक–सह–लेखापाल, एवं लिपिक (सहायक) से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती हैः–

क्रमांक	पदनाम	रिक्ति की स्थिति	कोटि	अभ्युक्ति
01	सहायक अभियंता	01	01 अनारक्षित	
02	प्रधान सहायक–सह–लेखापाल	01	01 अनारक्षित	
03	लिपिक (सहायक)	02	01 अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
			01 अनारक्षित महिला	

आवेदन पत्र दिनांक–27.08.2024 से तक जिला परिषद् कार्यालय, जहानाबाद में कार्यालय अवधि में निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। 19.09.024

संविदा पर नियोजन हेतु शर्त निम्न प्रकार हैः–

1. ***उक्त प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित श्रेणी के सेवा निवृत्त कर्मियों की सेवाएं नहीं ली जा सकेगी।***
   - I. जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।
   - II. जिन पर कोई विभागीय कार्रवाई चल रही हो।
   - III. जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।
   - IV. जिन पर किसी भी तरह का कोई अपराधिक मामला दर्ज हो।

2. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षो अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार जिला परिषद् द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा के उपरान्त किया जायेगा। विशेष परिस्थति में संबंधित जिला परिषद् द्वारा अपने अधीन सेवा निवृत सेवकों का संविदा विस्तार प्रमण्डलीय आयुक्त की सहमति से 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

3. संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृत सेवकों का चयन किये जाते समय उनके अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

4. राज्य सरकार के किसी कर्मी को संविदा पर नियोजन किये जाने पर ऐसे कर्मी का मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवा निवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही भुगतान योग्य होगा, किन्तु पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधी में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी। मानदेय का भुगतान जिला परिषद् के अपने स्वयं के संशाधन/ राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सामान्य निधि (स्थापना मद) से किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार के स्तर से कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

5. नयीं पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत सरकारी सेवक अथवा वोर्ड/निगम लोक उपक्रमों से सेवानिवृत कर्मियों का संविदा पर नियोजन सेवानिवृत के समय धारित पद/समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा। ऐसे कर्मियों का चयन भी उप कंडिका (4) में प्रावधानित चयन समिति की अनुशंसा पर किया जा सकेगा। ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद पर संवर्ग के लिए

अनुमान्य पे–बैन्ड का प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महँगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा। परन्तु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवा निवृत के समय प्राप्त, वेतन एवं उसपर अनुमान्य महँगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगा। अधिक होने की स्थिति में सेवा निवृति के समय वेतन+ महँगाई भत्ता का योगफल हीं पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मी द्वारा जिला परिषद् के कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उस दर से अनुमान्य होगा जो उनके धारित पद के लिए एक नियमित सरकारी सेवक को अनुमान्य है। इस मद में भुगतान भी जिला परिषद् के द्वारा अपने संशासधनों से किया जायेगा।

7. पदीय दायित्व को ध्यान में रखकर संबंधित कर्मी को परिवहन तथा मोबाईल आदि की सुविधा संबंधित जिला परिषद् द्वारा अपने संसाधनों या राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सामान्य निधि (स्थापना मद) से किया जायेगा।

8. संविदा पर नियोजित सेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेगी।

9. यह व्यवस्था बिहार जिला परिषद् (सेवा शर्त) नियमावली--2023 के आलोक में जिला परिषद् में कर्मियों की नियमित नियुक्ति होने तक लागू रहेगी। नियमित नियुक्ति हो जाने पर संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

10. संविदा पर नियोजित सेवा निवृत कर्मियों का आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भांती क्षतीपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

11. संविदा पर नियुक्त कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जा सकेगी। और यदि कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय संविदा रद्द कर दी जायेगी।

12. जो व्यक्ति जिस जिला परिषद में कार्य करते हुए सेवा निवृत हुआ हैं वह उस जिला परिषद् में संविदा के आधार पर नियोजित नहीं किया जा सकेगा।

13. बिना किसी कारण बताएं विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

14. आवेदन प्रपत्र जिला के website www.jehanabad.nic.in से अपलोड किया जा सकता है।

ह०/–
उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद् जहानाबाद।

ज्ञापांक:–773/जि०परि०, जहानाबाद, दिनांक–20/08/2024

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को विज्ञापन की सूचना की प्रति दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं विज्ञापनों को करवाने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विज्ञापन की सूचना को जिला के website पर प्रकाशित करा दी जाय।

प्रतिलिपि :– एन०आई०सी० सूचना विज्ञान केन्द्र जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि विज्ञापन की सूचना को जिला के website पर पर प्रकाशित करा दी जाय।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, जहानाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष, जिला परिषद् जहानाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20/8/24

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद् जहानाबाद।

जिला परषिद्, जहानाबाद में सेवा निवृत कर्मियों के लिए संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

1.	आवेदित पद का नाम	:–	passport size photo colour
2.	आवेदक का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षर में)	:–	
3.	आवेदक का नाम (हिन्दी में)	:–	
4.	पिता/पति का नाम	:–	
5.	जन्म तिथि	:–	
6.	लिंग	:–	
7.	आरक्षण कोटि	:–	(सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र
	अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासियों को हीं अनुमान्य होगा)	:–	
8.	शैक्षणिक योग्यता	:–	
9.	कार्य अनुभव	:–	
10.	पत्राचार का पता	:–	
11.	स्थायी पता	:–	
12.	मोबाईल न०/ ईमेल	:–	
13.	सेवा/संवर्ग जिससे सेवानिवृत हुए है।	:–	
14.	सेवानिवृति की तिथि	:–	
15.	अंतिम पदस्थापन कार्यालय का नाम एवं पता जहाँ से सेवानिवृत हुए हैं		

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेंरे विरूद्ध कोई निगरानी मामला/विभागीय कार्यवाही/विचाराधीन गंभीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इस आवेदन में अंकित सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। भविष्य में यदि मेंरे द्वारा समर्पित कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना कोई सूचना के रदद करते हुए विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान :–

आवेदक का हस्ताक्षर